

कार्यालय
पत्रांक: एसटी/एफएस/गु0हा0/(जीत होम)2016
सेवा में,

मुख्य अग्निशमन

अधिकारी चन्दौली
दिनांक: अक्टूबर/7, 2016

अधिकासी अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी।

विषय:- आराजी सं0 45/1.47/1.47/2.47/3. मौजा सेमरा व11/1.11/2.16.17.17/1.17/2
पर प्रस्तावित मानचित्र के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक: 60/14/गु0हा0/वि0प्रा0/विन्यास/2012-13 दिनांक: 3-6-15।

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में मेसर्स जीत होम सल्यूशन्स प्रा0लि0 श्री जितेंद्र कुमार पत्र श्री लल्लन प्रसाद द्वारा उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार अग्निसुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

भवन की संरचना एवं ढांचागत व्यवस्था :-

- 1- प्रवेश मार्ग की चौड़ाई- 16.77मीटर
- 2- पहुँच मार्ग 40.00मीटर
- 3- ब्लॉक सी एवं ब्लॉक डी का कुल भूखण्ड एरिया-11938.73वर्गमीटर,

	ब्लॉक सी	ब्लॉक डी
4- बेसमेन्ट कवर्ड एरिया	2876.80 वर्गमीटर,	
5- स्टिल्डफ्लोर कवर्ड एरिया-	1615.12 वर्गमीटर,	
6- प्रथम से नवें तल तक प्रत्येक-	1468.30 वर्गमीटर, - (प्रथम से सातवें तल तक)	913.39वर्गमी
7- वसर्वा तल -	1430.95 वर्गमीटर	
8- ऊँचाई-	32.70 मीटर	
9- सेट बैक-		23.70 मीटर

अ- अग्रभाग	10.00 मीटर(ओपेन स्पेस)	08.00 मीटर
ब- पृष्ठ भाग	10.00 मीटर	10.00 मीटर
स- पार्श्व भाग प्रथम-	9.8 मीटर	06.00 मीटर
द- पार्श्व भाग द्वितीय-	10.22 मीटर	09.00 मीटर

उपरोक्त सेट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे तथा सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर सिस्टम एवं वेंटिलेशन की व्यवस्था नियमानुसार की जायेगी।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की अपार्टमेन्ट ग्रुप हाउसिंग भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अग्निसुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया में निहित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक एवं निम्नप्रकार अनिवार्य है:-

- 1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 1-भवन में 1990:1992के अनुसार ब.आइ0 एस0कोड15683 के तहत प्राथमिक अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जायेगी 2-सेण्ड बकेट मय स्ट

- 2- भवन के प्रत्येक तल पर होजरिल स्थापित किया जायेगा।
- 3- डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रत्येक तल पर लैंडिंग वाल्व के पास होज बाक्स में 2 होज पाईप तथा एक साधारण ब्रांच रखा जायेगा।
- 4-भवन के बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था नियमानुसार की जायेगी।
- 5- भवन के प्रत्येक तल पर मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।
- 6-टेरेस टैंक एवं पम्प- 25000ली०क्षमता का टेरेस टैंक एवं 900एल०पी०एम०क्षमता का टेरेस पम्प स्थापित किया जायेगा जिसका संबंध प्रत्येक तल पर लगने वाले होजरिल एवं लैंडिंग वाल से होगा।
- 7- पिधुत की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।
- 8- प्रवेश व निकास मार्ग पर प्रदीप्त संकेतक चिन्ह स्थापित किये जायेंगे।
- 9- ट्रेवलिंग डिस्टेन्स का नियमानुसार पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 10-बेसमेन्ट में फायर चेकडोर स्थापित किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन ब्लाक (सी) एवं ब्लाक (डी)के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा ग्रुप हाउसिंग भवन में अग्निसुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्रावधान उ०प्र०अग्नि सुरक्षा एवं अग्नि निवारण अधिनियम 2005तः भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के उल्लिखित मानकों के अनुसार कार्य करायें जायेंगे। भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुसार स्थापितकर उसका निरीक्षण एवं परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों व प्रतिबन्धों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्नक:मानचित्र

10/10/16
(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वन्देभक्त

✓ प्रतिलिपि: मेसर्स जीत होम सल्यूसन्स प्रा०लि० श्री जितेन्द्र कुमार पत्र श्री लल्लन प्रसाद आवेदक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।